कार्यालय संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश

क्रमांक 580/2020
भोपाल, दिनांक 01/05/2020

प्रति,

1. जिला कलेक्टर, (समस्त)
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (समस्त)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (समस्त)।

विषय:- अन्य जिलों/राज्यों से आने वाले श्रमिकों के संबंध में।

संदर्भ:- गृह मंत्रालय, केन्द्र सरकार का आदेश क्रमांक 40-3/2020 DM-I(A) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली दिनांक 29/04/2020।

उपरोक्त विषयांतर्गत वर्तमान में पूरे प्रदेश के जिलों में अन्य प्रदेश के जिलों तथा राज्यों से श्रमिक घर वापस लौट रहे हैं। उनका स्वास्थ्य परिक्षण भेजने वाले स्थानों पर अथवा जिन जिलों में वो जा रहे हैं, में कराया जाकर श्रमिकों को उनके परिक्षण के परिणाम के अनुसार संस्थागत क्वारेटीन अथवा उनके निवास भेजा जा रहा है। श्रमिकों को तथा उनके परिवार के सदस्यों को कोरोना वायरस से संबंधित निम्न विषयों पर जानकारी दिया जाना उपयुक्त रहेगा:-

1. कोरोना वायरस के लक्षण जैसे- गले में खराश, सिरदर्द, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण पाये जाने पर किस नम्बर पर संपर्क करना है।
2. कोरोना वायरस से बचने के उपाय जैसे- हाथों को साबुन से बार-बार धोना एवं बिना धुले हाथों को आंख, नाक, एवं मुँह को न छूना आदि एवं इन उपायों की आवश्यकता, सक्रमंण कैसे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है अवश्य बतलाया जाये।
3. संबंधितों को मास्क पहनने का सुझाव दिया जाये एवं मास्क का पुन: उपयोग धोकर ही किया जाना ।
4. सोशल डिस्टेंसिंग (अन्य व्यक्तियों से निश्चित दूरी) के बारे में बताना, विशेषकर जो लोग बाहर से आये हैं उन्हें यदि हो सके तो घर में अलग कमरे में रहना (self Quarantine) अन्यथा अलग पलंग पर ही सोना एवं उनके खाने पीने के बर्तन एवं पहनने के कपड़ों को अलग रख कर स्वयं धोयें। घर के अन्य सदस्यों विशेषकर जिन्हें ब्लड प्रेशर/डायबिटीज़/हृदय रोग/कैंसर आदि बीमारी हो या जो 60 वर्ष से अधिक आयु के है उनसे निश्चित दूरी बनाये रखें। 14 दिन के लिए होम आसोलेशन/क्वारेंटीन होना तथा इस दौरान वे घर से बाहर नहीं निकलेंगे और अपने स्वास्थ्य का निरंतर परिक्षण करें।
5. इन सभी श्रमिकों की सूची आपके द्वारा बनाई गई होगी और पंचायतों की इस समस्त कार्यवाही में अहम भूमिका रहेगी ।
6. यह सूची सभी संबंधित एएनएम, आशा, आगनबाडी कार्यकर्ता को उपलब्ध रहेगी जो कि 14 दिन तक उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करेंगे ।
7. सभी लोगों को यह भी समझाना आवश्यक है कि कोरोना वायरस छुआ-छूत की बीमारी नहीं है यदि सही तरीके से बचाव किया जाता है तो इसको फैलने से रोक जा सकता है और इससे प्रभावित

Scanned with CamScanner

(संक्रमित) व्यक्तियों में भी 80 प्रतिशत लोग को कोई विशेष इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। इससे यदि कोई व्यक्ति संक्रमित भी होता है तो उसको दोष देना अथवा दुरव्यवहार करने के बजाये उसका शीघ्र चिकित्सिय सहायता उपलब्ध कराई जाये।

कृपया इन मूल संदेश (Key message) को सभी के संज्ञान में लायें ताकि लोगों में इस महामारी के संबंध में उत्पन्न भ्रांतियां भी दूर हो सके।

Faiz Kidwai 1/5/20

(फैज़ अहमद किदवई)
स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner